अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

के नियंत्राधीन

नवनियुक्त प्रखंड अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

(बैच–70वीं BPSC)

स्थान– बिपार्ड, पटना

दिनांक–16.10.2026

नवीन कुमार
जिला कल्याण पदाधिकारी

अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

नियम, 1995 (समय–समय पर यथा संशोधित)

के क्रियान्वयन में

प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की भूमिका

अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 नियम, 1995 (समय–समय पर यथा संशोधित)

- संविधान के **अनुच्छेद 17** में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख के आलोक में जिसके आलोक में अन्य समुदायों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ की गई **हिंसा से सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 अधिसूचित** की गई है।
- अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को **न्याय प्रदान करने पर प्रयास** किया गया है ताकि समुदाय के सदस्य सम्मान के साथ समाज में रह सकें, अपने **आत्मसम्मान की रक्षा** कर सकें और उन्हें न्याय प्रदान कर सकें।

- अनु0 जाति और अनु0 जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 11 सितम्बर 1989 को संसद से पारित हुआ तथा 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ।
- नियम, 1995 को 31 मार्च, 1995 से प्रभावी किया गया।
- संशोधन अधिनियम, 2015 एवं 2018 क्रमशः 26 जनवरी, 2016 तथा 17 अगस्त 2018 से प्रभावी हुआ।
- संशोधन नियम, 2011, संशोधन नियम 2013, संशोधन नियम 2014 तथा संशोधन नियम 2016 क्रमशः 23 दिसम्बर, 2011, 8 नवम्बर, 2013, 23 जून 2014 तथा 14 अप्रैल 2016 से लागू हुआ

क्रियान्वयन की प्रक्रिया

- अत्याचार की सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम के तहत् सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया जाना।
- प्राथमिकी के आधार पर जाँच एवं चार्जशीट/अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में समर्पित किया जाना
- पीड़ित/आश्रित को मुआवजा भुगतान एवं अन्य राहत प्रदान करना।
- माननीय न्यायालय के द्वारा मामले की सुनवाई एवं समर्पित आरोपपत्र के आलोक में आरोप तय करना एवं न्यायादेश निर्गत करना।

जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले उपाय (नियम 11)

- पीड़ित, आश्रित, साक्षियों तथा परिचर को अपराध के अन्वेषण, सुनवाई और विचारण के दौरान उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से दूर रहने के दिनों के लिए ऐसी दरों पर दैनिक भरण–पोषण व्यय का संदाय किया जाएग जो उस न्यूनतम मजदूरी से जैसा कि राज्य सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए नियत की हो, कम नहीं होगी।
- दैनिक भरण पोषण के अतिरिक्त आहार व्यय का भी ऐसी दरों पर संदाय किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय समय पर नियत करे।
- यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण पोषण व्यय, परिवहन सुविधाओं की प्रतिपूर्ति अधिकतम 3 दिनों में किया जाएगा।
- अधिनियम की धारा–3 के तहत अपराध होने पर औषधि, आवश्यक वस्त्र, भोजन, फल आदि के संदाय की प्रतिपूर्ति करेंगे।

जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले उपाय (नियम 12)

1– जीवन हानि, सम्पत्ति हानि का निर्धारण करने और राहत के लिए पीड़ित, आश्रित, की सूची तैयार करने के लिए जिला मजि0 तथा पुलिस अधीक्षक उस स्थान या क्षेत्र में जाएंगे जहां अत्याचार किया गया है।

2–पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राथमिकी संबंधित पुलिस थाने की बही में दर्ज की गई है तथा अपराधी को गिरफ्तार करने के प्रभावी उपाय किये गए हैं।

3–पुलिस अधीक्षक मौके पर निरीक्षण के पश्चात् तत्काल एक अन्वेषण अधिकारी नियुक्त करेगा और उस क्षेत्र में ऐसा पुलिस बल तैनात करेगा और ऐसे अन्य निवारक उपाय करेगा, जैसा वह उचित और आवश्यक समझे।

4–जिला मजि0 या उपखंड मजि0 या अन्य कार्यपालक मजि0 आवश्यक प्रशासनिक और अन्य प्रबंध करेगा तथा पीड़ित उनके परिवार के सदस्यों तथा आश्रितों को अनुसूची के उपाबंध–2 के साथ पठित उपाबंध–1 में उपबंधित पैमाने के अनुसार 7 दिनों के भीतर नकदी या वस्तुरूप या दोनों में अनुतोष प्रदान करेगा। ऐसे अनुतोष में औषधि, आवश्यक वस्त्र, भोजन, आदि भी सम्मिलित है। ।

राहत के विभिन्न दर

S.No.	Rules/Amendment Rules	Minimum Compensation	Maximum compensation	Rate of pension (Per Month)
1	1995	20000	200000	1000
2	2011	50000	500000	3000
3	2014	75000	750000	4500
4	2016	85000	825000	5000 + DA

नियम–15(1)(घ)–सरकारी नौकरी का प्रावधान

- नियम–15(1)(घ) के तहत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के परिवार के कमाने वाले सदस्य की हत्या होने पर एक आश्रित सदस्य को जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति की कार्रवाई करने का प्रावधान है।
- सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना सं0–16970 दिनांक–12.12.2012 के द्वारा परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता दसवीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण या समकक्ष निर्धारित है।

नियम–15(1)(घ)–सरकारी नौकरी का प्रावधान

- नियम–15(1)(घ) के तहत योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिकांश आश्रित कक्षा दसवीं या समकक्ष से कम याग्यता रखते हैं जिससे योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है।
- सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना सं0–16970 दिनांक–12.12.2012 के द्वारा परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता दसवीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण या समकक्ष निर्धारित है।

- इसलिए विभागीय संकल्प सं0–1825 दिनांक–19.09.2020 के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक–1827 दिनांक–19.09.2020 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका–4(iii) नियुक्ति हेतु अर्हता में वर्णित प्रावधान ''चिन्हित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता ही इस नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता मानी जाएगी।'' के साथ –साथ निम्नांकित प्रावधान जोडे. गए हैं:–

'' सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पदों पर नियुक्ति की अर्हता हेतु समय–समय पर निर्गत पत्र/परिपत्र/अधिसूचना/ संकल्प अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पीड़ितों/आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में भी लागू होंगे।''

- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार) के पत्र सं0–10073 दिनांक–18.12.2008 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–13350 दिनांक–02.08.2022 तथा समय–समय पर अन्य निर्गत पत्र/परिपत्र/ अधिसूचना/संकल्प के द्वारा मृत महादलित सरकारी सेवक के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में दी गई छूट सभी पात्र अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के पीड़ितों/आश्रितों क लिए लागू होंगी।
- इस प्रावधान को भी दिनांक–19.09.2020 से लागू किया गया है।

नियम–17 जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति

(1) राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट, अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधाएं तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामलों, अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों के पुनर्विलोकन के लिए अपने जिले में सतर्कता और अनुश्रवण समिति की स्थापना करेगा।

(2) जिला स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति, में संसद, राज्य विधान सभा तथा विधान परिषद् के चुने गए सदस्य, पुलिस अधीक्षक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित राज्य सरकार के तीन समूह "क" अधिकारी के राजपत्रित अधिकारी तथा अनुसूचित जाति और अपनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिक से अधिक 5 गैर–सरकारी सदस्य तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भिन्न प्रवर्ग के ऐसे अधिक से अधिक 3 सदस्य होंगे जो गैर–सरकारी संगठनों से सहबद्ध हैं। जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे।

(3) जिला स्तरीय समिति की तीन मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

नियम–17 जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति

- राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट, अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधाएं तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामलों, अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों के पुनर्विलोकन के लिए अपने जिले में सतर्कता और अनुश्रवण समिति की स्थापना करेगा।

- जिला स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति, में संसद, राज्य विधान सभा तथा विधान परिषद् के चुने गए सदस्य, पुलिस अधीक्षक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित राज्य सरकार के तीन समूह ''क'' अधिकारी के राजपत्रित अधिकारी तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिक से अधिक 5 गैर–सरकारी सदस्य तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भिन्न प्रवर्ग के ऐसे अधिक से अधिक 3 सदस्य होंगे जो गैर–सरकारी संगठनों से सहबद्ध हैं जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला कल्याण पदाधिकारी क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे।
- जिला स्तरीय समिति की तीन मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

नियम–17.क उपखंड स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति

- राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक उपखण्ड में उपखंड मजिस्ट्रेट अपने उपखंड में सतर्कता और मानीटरी समिति की स्थापना करेगा।
- उपखंड स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिति, में उपखंड से राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद् के सदस्य, अनु0 जाति और अनु0 जनजाति से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य, पुलिस उपाधीक्षक, तहसीलदार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति से संबंधित 2 से अनधिक गैर सरकारी सदस्य और गैर सरकारी संगठनों से सहयुक्त अनु0 जाति और अनु0 जनजाति से भिन्न प्रवर्गों से 2 से अनधिक सदस्य होंगे। उपखंड स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव क्रमशः उपखण्ड मजि0 तथा प्रखण्ड विकास पदा0 होंगे।
- उपखंड स्तरीय समिति की तीन मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

विभागीय नोडल पदाधिकारी का दायित्व

- प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत पीड़ित के आवास पर जाकर उनसे सम्पर्क स्थापित करना
- पीड़ित को अधिनियम/नियम की जानकारी देना
- उनसे बैंक खाता आदि प्राप्त करना।
- प्राथमिकी एवं आरोप पत्र से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- विभागीय पोर्टल पर दैनिक प्रतिवेदन की प्रविष्टि करवाना।
- प्राथमिकी की विवरणी पोर्टल में प्रविष्टि करवाना।
- ऑर्डरशीट जेनरेट करवाते हुए सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त करना तथा पी0एफ0एम0एस0/सी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से राशि भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करवाना।
- उक्त प्रक्रिया का अनुपालन आरोप पत्र एवं दोषसिद्धि प्राप्त होने पर सुनिश्चित करना।
- अतिरिक्त राहत प्रदान करने हेतु ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करवाना।

विभागीय नोडल पदाधिकारी का दायित्व

- थाना कांड से संबंधित थानों एवं विशेष लोक अभियोजकों के साथ समन्वय स्थापित करना। उनसे ससमय अद्यतन जानकारी प्राप्त करना।
- यात्रा भत्ता आदि का भुगतान सुनिश्चित करवाना।
- विभागीय पोर्टल

http://scstonline.bihar.gov.in/scstatr/Medha/Atrocity/Login.aspx

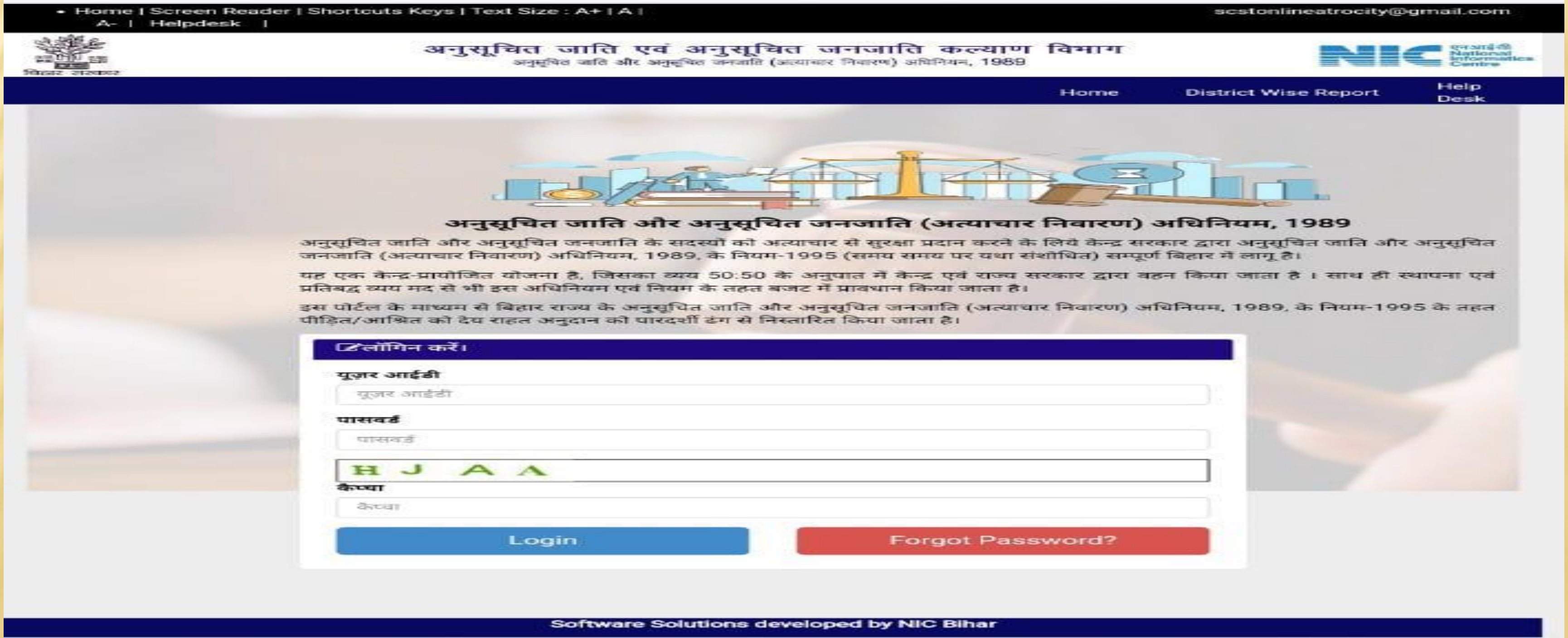

PoA- Portal

- Public Viewing
- Reports for DM/SP
- Reports for HQ

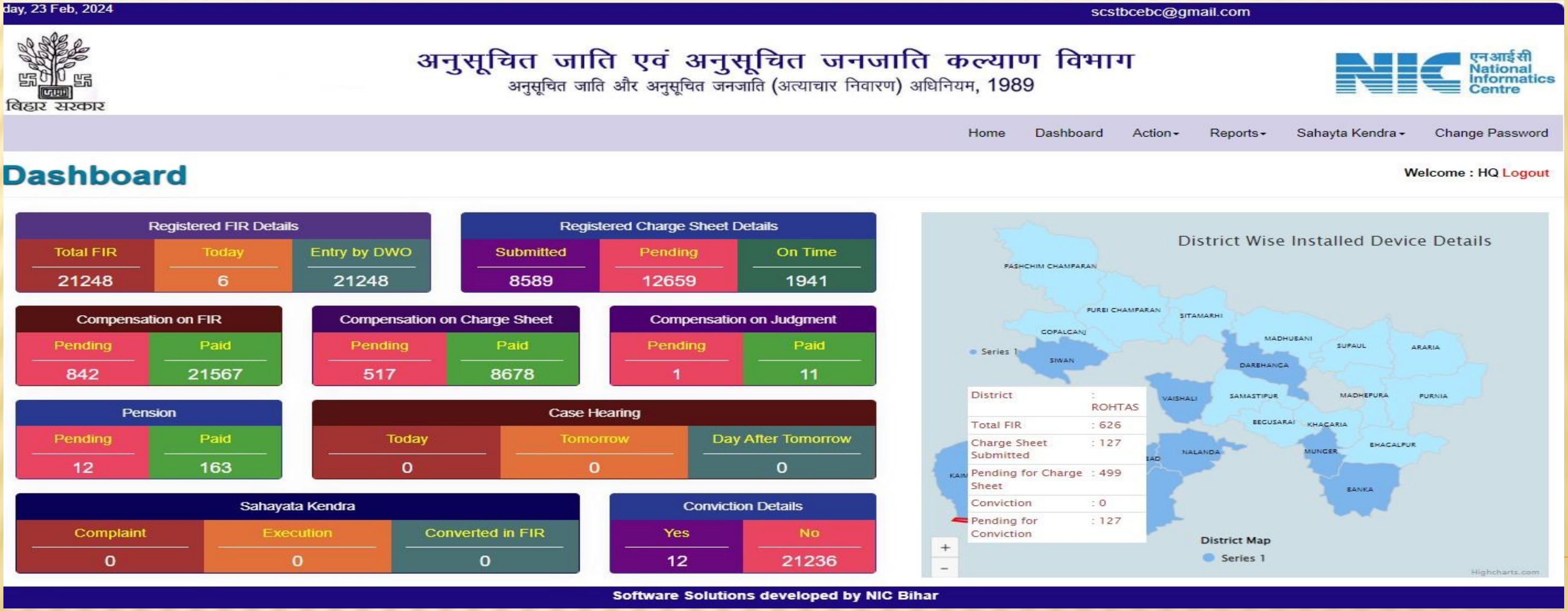

Dashboard

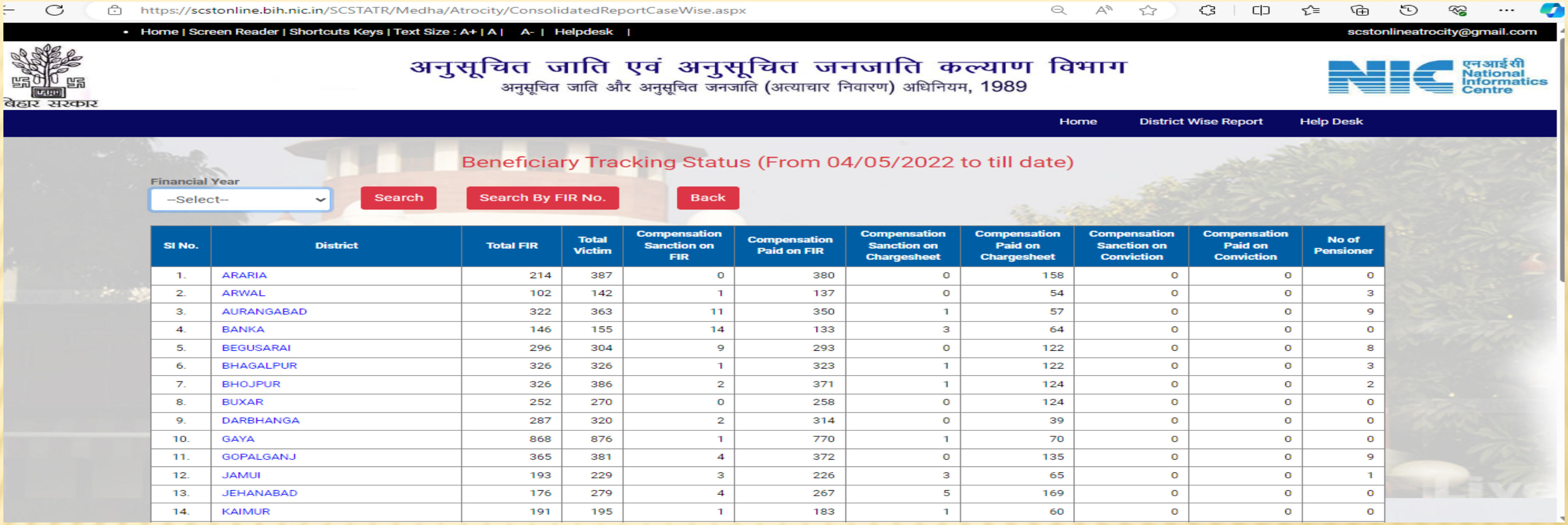

Sl No.	District	Total FIR	Total Victim	Compensation Sanction on FIR	Compensation Paid on FIR	Compensation Sanction on Chargesheet	Compensation Paid on Chargesheet	Compensation Sanction on Conviction	Compensation Paid on Conviction	No of Pensioner
1.	ARARIA	214	387	0	380	0	158	0	0	0
2.	ARWAL	102	142	1	137	0	54	0	0	3
3.	AURANGABAD	322	363	11	350	1	57	0	0	9
4.	BANKA	146	155	14	133	3	64	0	0	0
5.	BEGUSARAI	296	304	9	293	0	122	0	0	8
6.	BHAGALPUR	326	326	1	323	1	122	0	0	3
7.	BHOJPUR	326	386	2	371	1	124	0	0	2
8.	BUXAR	252	270	0	258	0	124	0	0	0
9.	DARBHANGA	287	320	2	314	0	39	0	0	0
10.	GAYA	868	876	1	770	1	70	0	0	0
11.	GOPALGANJ	365	381	4	372	0	135	0	0	9
12.	JAMUI	193	229	3	226	3	65	0	0	1
13.	JEHANABAD	176	279	4	267	5	169	0	0	0
14.	KAIMUR	191	195	1	183	1	60	0	0	0

Public view

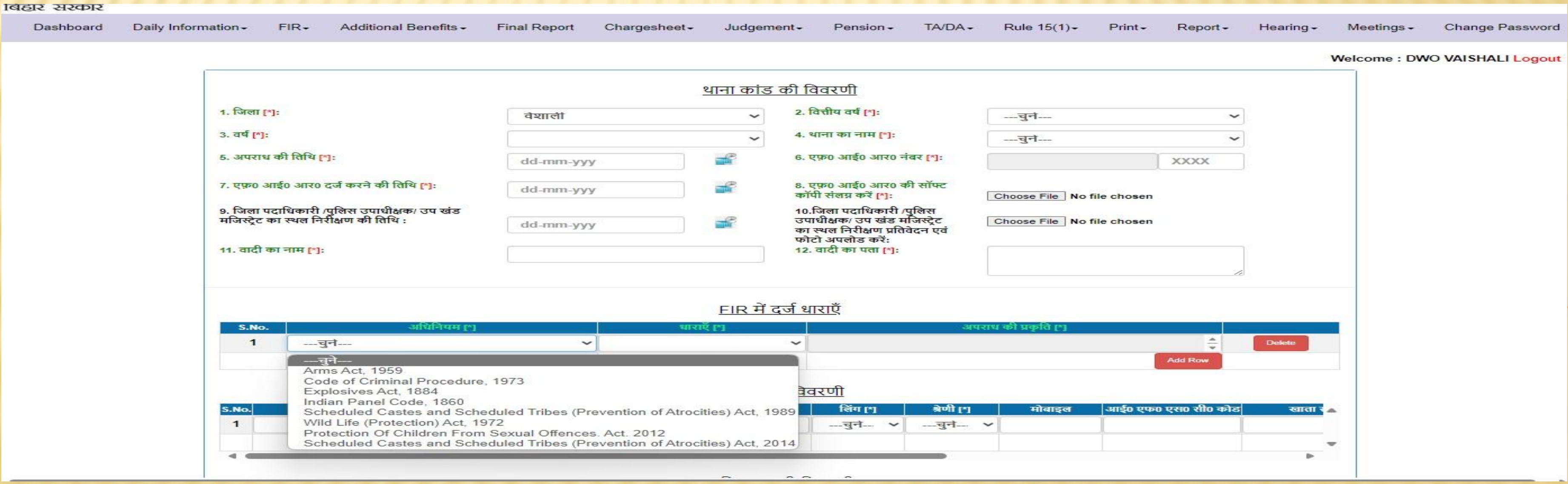

Data Entry

day, 23 Feb, 2024 scstbcebc@gmail.com

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

एनआईसी National Informatics Centre

Home | Dashboard | Action | Reports | Sahayta Kendra | Change Password

Welcome : HQ Logout

अनु० जाति० एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, लंबित आरोपपत्र से संबन्धित प्रतिवेदन

Date From: mm/dd/yyyy Date To: mm/dd/yyyy View Export to Excel

क्र० सं०	जिला का नाम	कुल कांड सं०	चार्जशीट प्राप्त	कुल चार्जशीट अप्राप्त	प्राथमिकी की तिथि से 60 दिनों से कम के मामलों की सं०	प्राथमिकी की तिथि से 6० दिनों से अधिक एवं एक वर्ष से कम मामलों की सं०	प्राथमिकी की तिथि से एक वर्ष से अधिक एवं दो वर्ष से कम मामलों की सं०	प्राथमिकी की तिथि से दो वर्ष से अधिक एवं तीन वर्ष से कम मामलों की सं०	प्राथमिकी की तिथि से तीन वर्ष से अधिक मामलों की सं०	प्राथमिकी की तिथि से 6० दिनों से अधिक कुल मामलों की सं०	प्राथमिकी की तिथि से 6० दिनों से अधिक कुल मामलों का %
1.	ARARIA	606	368	238	9	87	39	49	54	229	37
2.	ARWAL	218	114	104	9	31	28	15	21	95	43
3.	AURANGABAD	472	112	360	21	146	111	25	56	338	71
4.	BANKA	154	76	78	2	49	26	0	1	76	49
5.	BEGUSARAI	391	193	198	21	113	35	4	25	177	45
6.	BHAGALPUR	459	221	238	8	130	73	18	7	228	49
7.	BHOJPUR	496	236	260	22	129	64	34	11	238	47
8.	BUXAR	300	163	137	16	84	37	0	0	121	40
9.	DARBHANGA	593	191	402	15	125	127	35	100	387	65
10.	GAYA	1772	493	1279	45	417	371	186	260	1234	69

HQ Login

day, 23 Feb, 2024 scstbcebc@gmail.com

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

एनआईसी National Informatics Centre

Dashboard | Reports | Change Password

Welcome : SP PATNA Logout

अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का दैनिक प्रतिवेदन (प्रपत्र - 01)

जिला का नाम: पटना दिनांक से दिनांक तक Search Export Excel

क्र.सं.	सूचना सं.	सूचना की तिथि	जिला का नाम	पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कल (Yesterday) का प्राथमिकी का लिखित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है	प्राथमिकी की संख्या	पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कल (Yesterday) का आरोप पत्र/FR का लिखित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है	आरोप पत्र/FR की संख्या
1	IN2024221211529137	21-02-2024	PATNA	Yes	1	Yes	1
2	IN2024220214929937	20-02-2024	PATNA	Yes	0	Yes	0
3	IN2024219202957443	19-02-2024	PATNA	Yes	1	Yes	0
4	IN202421821314183	18-02-2024	PATNA	Yes	3	Yes	0
5	IN2024217205330467	17-02-2024	PATNA	Yes	1	Yes	0
6	IN202421622326880	16-02-2024	PATNA	Yes	1	Yes	0
7	IN2024215215422670	15-02-2024	PATNA	Yes	0	Yes	0
8	IN202421420314217	14-02-2024	PATNA	Yes	0	Yes	0
9	IN202421316559160	13-02-2024	PATNA	Yes	0	Yes	0
10	IN2024212213920347	12-02-2024	PATNA	Yes	0	Yes	0
11	IN2024211222048220	11-02-2024	PATNA	Yes	3	Yes	0
12	IN2024210201048550	10-02-2024	PATNA	Yes	0	Yes	0
13	IN202429211637457	09-02-2024	PATNA	Yes	0	Yes	0
14	IN202428211512713	08-02-2024	PATNA	Yes	2	Yes	0

SP Login

Print Close

VAISHALI समाहरणालय

अत्याचार के पीड़ित/आश्रित/ कांड के साक्षियों आदि को राहत/सुविधाओं/यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्रदान करने हेतु अभिलेख

जिला कल्याण शाखा

Application Details

संचिका संख्या : **IV-132/2022** अभिलेख स° - : **1374/VSH/MAH/040622**

अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय - समय पर यथा संशोधित) की धारा-3 के तहत दर्ज थाना काण्डों में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (समय - समय पर यथा संशोधित) के नियम-12(4) के तहत राहत मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है साथ ही राज्य सरकार के द्वारा संकल्प सं0-1825 दिनांक-19.09.2020 द्वारा नियम-15(1) के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए योजना तैयार किया गया है, जिसके तहत अत्याचार के पीड़ित/आश्रित को नियम-15(1) के उपबंधों के विरूद्ध किये गए प्रावधान के अनुसार निर्धारित समयावधि में सुविधाएँ उपलब्ध कराना निर्धारित है। हत्या के मामलों में नियम-12(4) के अनुसार आश्रित को पेंशन की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। नियम-11 के तहत अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति, उसके आश्रित, साक्षी तथा परिचरों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण-पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

प्रपत्र-'क' (i)

दिनांक - **05-06-2022** को श्री/श्रीमति/सुश्री : **DINESH PASWAN** कोटि : SC के साथ प्राथमिकी में दर्ज अभियुक्त : **ANAND KR SINGH URF BABA JI,ARVIND RAI** के द्वारा किये गए अत्याचार के आलोक में दर्ज **Mahnar PS** थाना कांड सं0-**5104013220152** अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा **Act, 2014 :3(1)(r),3(1)(s)** / भा. द. वि. की धारा **Act, 1860 :323,34,341,385,504,506** अन्य धारा .... के तहत दर्ज है ।
अपराध की प्रकृति तथा अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) की उपर्युक्त वर्णित धारा के आलोक में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-12(4) की कंडिका/क्रम सं0 **19 (PoA Amendment Rules, 2016)** के अनुसार विभिन्न किस्तों में एवं स्टेज आधारित भुगतान कुल रु० **100000** मात्र की राशि का प्रावधान है | उक्त में से :-

I) अधिनियम के प्रावधान के आलोक में **प्राथमिकी दर्ज** होने पर प्रथम किस्त के रूप में रु० **25000** मात्र की राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है।

[नोट:- इस काण्ड में इस स्तर पर उक्त पीड़ित/आश्रित को कोई भुगतान पूर्व में स्वीकृत नही हुआ है ।]

लिपिक — प्रधान लिपिक

जिला कल्याण पदाधिकारी — वरीय पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी

Order Sheet for sanction

समाहरणालय, वैशाली

स्वीकृति सह भुगतान आदेश

अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय - समय पर यथा संशोधित) के तहत दर्ज थाना कांड सं० - **5104013220152 (0152/2022)** दिनांक - **05-06-2022** के आलोक में **पीड़ित** श्री / श्रीमती - **DINESH PASWAN** को अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (समय - समय पर यथा संशोधित) के नियम -12 (4) के तहत स्वीकृत अभिलेख संख्या **1374/VSH/MAH/040622** के अंतर्गत राहत मुआवजा की राशि रु० **25000** भुगतान करने की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की गई है।

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के आवंटनादेश सं० ---------------- दिनांक ------------------- के अंतर्गत प्राप्त राशि के द्वारा विपत्र कोड ---------------------------- के तहत खाता संख्या **219850794 95** , आई0 एफ0 एस0 सी0 कोड **IDIB000A650** मे कुल रु० **25000** मात्र की राशि उपरोक्त वर्णित लाभुक को CFMS/PFMS प्रणाली के माध्यम से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी

ज्ञापांक--------------- दिनांक --------------

प्रतिलिपि - वरीय कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि - **पीड़ित** :- **DINESH PASWAN , SAHBAJPUR, VAISHALI** को सूचनार्थ प्रेषित।

[नोट:-राहत मुआवजा आदि के भुगतान हेतु यदि किसी के द्वारा रिश्वत की माँग की जाती है तो पीड़ित /आश्रित कार्यालय अवधि में **निगरानी विभाग के दूरभाष संख्या**- 0612-2215344 एवं विभाग द्वारा संचालित **सहायता कॉल सेंटर** 18003456345 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाए।]

जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी

Sanction cum payment order

धन्यवाद